रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2011/फाल्गुन 18, 1932

No. 122] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2011/PHALGUNA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 19 जनवरी, 2011

सं. फेमा 217/2011-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2011

सा.का.नि. 199(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं फेमा. 13/2000-आर.बी., अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम 'विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2011' कहलायेंगे ।

(ii) वे 1 फरवरी, 2010 से लागू समझे जाएंगे । @

2. **विनियमों में संशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.13/2000-आर.बी.) में—

(i) विनियम 6 में,

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"प्राधिकृत व्यापारी शाखा/संपर्क कार्यालय के समापन के संबंध में विनियम (7) के अनुसार कार्य करेगा ।"

(ख) विनियम 6 के बाद, निम्नलिखित विनियम 7 अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात—

"7. शाखा/कार्यालय (परियोजना कार्यालय से अन्य) के समापन की राशि विप्रेषित करने के लिए अनुमति—

(1) भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थापित शाखा अथवा कार्यालय को उसकी समापन राशि विप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकृत व्यापारी से आवेदन करना होगा :

(क) भारत में शाखा/कार्यालय स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की प्रति ।

(ख) लेखाकार का प्रमाण-पत्र जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाए :

(i) आवेदक की परिसंपत्तियों और देयताओं के विवरण द्वारा समर्थित प्रेषणयोग्य राशि का आकलन और परिसंपत्तियों के निपटान का तरीका दर्शाया जाए;

(ii) शाखा/कार्यालय के कर्मचारियों आदि को उपदान की बकाया राशि तथा अन्य लाभों सहित भारत में सभी देयताएं या तो पूर्णत: चुका दी गयी हैं अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है, इसकी पुष्टि;

(iii) भारत के बाहर के स्रोतों से प्राप्त कोई आगम राशि (निर्यात की आगम राशि सहित) भारत को अप्रत्यावर्तित रही है, इसकी पुष्टि; और

(iv) शाखा/कार्यालय ने भारत में ऐसे कार्यालयों की कार्य पद्धति के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित की गयी सभी विनियामक अपेक्षाएं पूर्ण की हैं, इसकी पुष्टि ।

(ग) विप्रेषण के लिए आय-कर प्राधिकरण से अनापत्ति अथवा कर बेबाकी प्रमाणपत्र ।

(घ) आवेदक से इस बात की पुष्टि कि भारत में किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही अनिर्णीत नहीं है और विप्रेषण को कोई विधिक रूकावट नहीं है; और

(ङ) भारत में कार्यालय के समापन के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कंपनियों के रजिस्ट्रार से एक रिपोर्ट ।

(2) उप-विनियम (1) के तहत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों की शर्त पर विप्रेषण के लिए अनुमति दे सकते हैं ।"

[फा. सं. 1/6/ई एम/2011]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ii) मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 396(अ) के जरिए सरकारी राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

(क) 19-8-2002 की सं. सा.का.नि. 576 (अ)

(ख) 4-8-2003 की सं. सा.का.नि. 630 (अ)

(ग) 1-9-2003 की सं. सा.का.नि. 699 (अ)

(घ) 4-8-2004 की सं. सा.का.नि. 493 (अ)

(ङ) 30-5-2007 की सं. सा.का.नि. 400 (अ)

(च) 15-2-2008 की सं. सा.का.नि. 90 (अ)

(छ) 23-11-2009 की सं. सा.का.नि. 837 (अ)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th January, 2011

No. FEMA 217/2011-R B

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2011

G.S.R. 199(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000, Notification No. FEMA 13/2000-RB dated 3rd May, 2000, namely :—

1. Short title and commencement .—(i) These Regulations may be called the 'Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2011'.

(ii) They shall be deemed to have come into force from February 1, 2010.@

2. Amendment to the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 13/2000-RB dated 3rd May, 2000),

(i) in regulation 6,

(a) in sub-regulation (1), clause (iii) shall be substituted by the following :

"Authorised Dealer shall act as per regulation (7) as regards closure of Branch/Liaison Office".

(b) after regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely :—

"7. Permission to remit winding up proceeds of branch/office (Other than Project Office)—

(1) A branch or office established in India by a person resident outside India may, for making remittance of its winding up proceeds, apply to the Authorised Dealer concerned supported by the following documents, namely :

(A) copy of the Reserve Bank's permission for establishing the branch/office in India;

(B) Auditors certificate :—

(i) indicating the manner in which the remittable amount has been arrived and supported by a statement of assets and liabilities of the applicant, and indicating the manner of disposal of assets;

(ii) confirming that all liabilities in India including arrears of gratuity and other benefits to employees etc. of the branch/office have been either fully met or adequately provided for;

(iii) confirming that no income accruing from sources outside India (including proceeds of exports) has remained unrepatriated to India; and

(iv) confirming that the branch/office has complied with all regulatory requirements stipulated by the Reserve Bank of India from time to time regarding functioning of such offices in India.

(C) no-objection or Tax clearance certificate from the Income Tax authority for the remittance;

(D) confirmation from the applicant that no legal proceedings in any Court in India are pending and there is no legal impediment to the remittance; and

(E) a report from the Registrar of Companies regarding compliance with the provisions of the Companies Act, 1956, in case of winding up of the office in India.

(2) On consideration of the application made under sub-regulation (1), the authorised dealer concerned may permit the remittance subject to the directions issued by the Reserve Bank in this regard, from time to time."

[F. No. 1/6/EM/2011]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-charge

Foot Note :—

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 396(E) dated 5th May, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :—

(a) No. G.S.R. 576(E) dated 19th August, 2002;

(b) No. G.S.R. 630(E) dated 4th August, 2003;

(c) No. G.S.R. 699(E) dated 1st September, 2003;

(d) No. G.S.R. 493(E) dated 4th August, 2004;

(e) No. G.S.R. 400(E) dated 30th May, 2007;

(f) No. G.S.R. 90(E) dated 15th February, 2008; and

(g) No. G.S.R. 837(E) dated 23rd November, 2009.

अधिसूचना

मुम्बई, 19 जनवरी, 2011

सं. फेमा 218/2011-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2011

सा.का.नि. 200(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 कर 42) की धारा 6 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, में निम्नलिखित संशोधन करता है, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं फेमा. 22/2000-आर. बी., अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2011 कहलायेंगे ।

(ii) वे 1 फरवरी, 2010 से लागू समझे जाएंगे । @

2. **विनियमों में संशोधन**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं फेमा./2000-आर.बी.) में—

(i) विनियम 2 खंड (क) के बाद, निम्नलिखित अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) "प्राधिकृत व्यापारी" का अर्थ उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति है ।"

(ii) विनियम 5 में,

(क) खंड (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(i) भारत में शाखा अथवा संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए इच्छुक भारत से बाहर का कोई निवासी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित फॉर्म एफएनसी में प्राधिकृत व्यापारी के जरिये रिज़र्व बैंक को आवेदन करेगा"

(ख) खंड (i) के बाद, निम्नलिखित अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात् —

"(iक) भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए इस विनियम के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त भारत से बाहर का कोई निवासी व्यक्ति अनुमोदन की वैधता अवधि के विस्तार के लिए संबंधित प्राधिकृत व्यापारी को आवेदन कर सकता है, और इस प्रकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की शर्त पर अनुमोदन की वैधता अवधि में विस्तार कर सकता है ।"

[फा. सं. 1/6/ईएम/2011]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ii) मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 408(अ) के जरिए सरकारी राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

(क) 1-9-2003 की सं. सा.का.नि. 698(अ)

(ख) 29-10-2003 की सं. सा.का.नि. 847(अ)

(ग) 27-5-2005 की सं. सा.का.नि.. 336(अ)

एफएनसी

(विनियम 5 देखें)

(आवेदक को आवेदन फॉर्म पूर्ण भरना चाहिए और घोषणा की मद (viii) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उसे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 को प्रेषित किये जाने के लिए पदनामित प्राधिकृत व्यापार श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए ।)

क्र. सं.	ब्यौरे	विवरण
1.	आवेदक का पूर्ण नाम और पता	
	निगमन/पंजीकरण की तारीख और स्थान	
	टेलीफोन संख्या	
	फैक्स संख्या	
	ई-मेल आईडी	
2.	पूंजी के ब्यौरे	
	(i) प्रदत्त पूंजी	
	(ii) पिछले लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण के अनुसार निर्बंध प्रारक्षित निधियां/प्रतिधारित आय	
	(iii) अमूर्त परिसंपत्तियां, यदि कोई हो	
3.	आवेदक के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण	
4.	(i) आवेदक द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत को/से आयातित और/अथवा निर्यातित माल की कीमत	
	(क) भारत से आयात	
	(ख) भारत को निर्यात	
	(ii) भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूदा व्यवस्था के ब्यौरे, यदि कोई हो	
	(iii) प्रस्तावित संपर्क/शाखा कार्यालय के ब्यौरे :	
	(क) कार्यालय द्वारा की जाने वाली/प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों/सेवाओं के ब्यौरे	
	(ख) कार्यालय का स्थान	
	(ग) फोन नंबर	
	(घ) ई-मेल आईडी	
	(ङ) कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या (विदेशियों की संख्या के साथ)	
5.	(i) अपने देश में आवेदक के बैंकर का नाम और पता	
	(ii) टेलीफोन और फैक्स संख्या	
	(iii) ई-मेल आईडी	
6.	कोई अन्य जानकारी जो आवेदक कंपनी इस आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है	
7.	लाभ रहित/गैर सरकारी संगठनों के लिए :	
	(i) आवेदक संगठनों द्वारा मेजबान देश और अन्य देशों में किये जाने वाले कार्यकलापों के ब्यौरे	
	(ii) भारत में परिचालनों के लिए निधियन का अपेक्षित स्तर	
	(iii) संगठन के उप-नियमों, संस्था के अंतर्नियमों की प्रतियां	

घोषणापत्र

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि :

(i) उपर्युक्त में दिये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं ।

(ii) भारत में हमारे कार्यकलाप उपर्युक्त स्तंभ 4 (iii)(क) में दर्शाये गये कार्यकलापों तक सीमित होंगे ।

(iii) यदि हम कार्यालय शहर में ही दूसरी जगह अंतरित करते हैं तो हम प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक और रिज़र्व बैंक को उसकी सूचना देंगे । भारत में किसी दूसरे शहर में कार्यालय अंतरित करते समय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा ।

(iv) हम भारत सरकार/रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे ।

(v) हम एतद्द्वारा प्रतिबद्ध हैं कि हम भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा विदेश में हमारे बैंकर से मांगी गयी रिपोर्ट/अभिमत देंगे ।

(vi) हम समझते हैं कि अनुमोदन, यदि प्रदान किया जाता है, तो केवल फेमा की दृष्टिकोण से है । किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी/विभाग/मंत्रालय से कोई अन्य अनुमोदन/सांविधिक अथवा अन्यथा मंजूरी (क्लिअरन्स) आवश्यक है तो भारत में परिचालन शुरू करने से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा ।

(vii) रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के ब्यौरे पब्लिक डोमेन पर रखने के संबंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

(viii) हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं :

1. पंजीकरण के देश में नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि [यदि मूल प्रमाणपत्र अंग्रेजी से अन्य किसी भाषा में है तो उसे अंग्रेजी में अनुवादित और उपर्युक्त के अनुसार नोटराज्ड किया जाए और अपने देश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रति सत्यापित/साक्ष्यांकित किया जाए] ।

2. आवेदक कंपनी का अद्यतन लेखापरिक्षित तुलन पत्र ।

[यदि आवेदक के अपने देश के कानून/विनियम लेखों की लेखापरीक्षा पर जोर नहीं देते हैं तो निवल मालियत स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट (सीपीए) अथवा किसी नाम से पंजीकृत लेखा व्यावसायिक द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाए]।

3. मेजबान देश/पंजीकरण के देश में आवेदक के बैंकर से आवेदक के बैंक के साथ बैंकिंग संबंधों के वर्षों की संख्या दर्शाते हुए बैंकर की रिपोर्ट ।

(आवेदक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :.....

पदनाम :.....

स्थान :

दिनांक :

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th January, 2011

No. FEMA 218/2011-RB

Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2011

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulation, 2000, Notification No. FEMA 22/2000-RB dated 3rd May, 2000, namely :—

1. Short Title and Commencement :—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2011.

(ii) They shall be deemed to have come into force from February 1, 2010.@

2. Amendment to the Regulations :—

In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 22/2000-RB dated May 3, 2000),

(i) in Regulation 2, after clause (a), the following shall be inserted, namely—

"(aa) "authorised dealer" means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Act."

(ii) in Regulation 5,

(a) for clause (i), the following shall be substituted, namely—

"(i) A person resident outside India desiring to establish a branch or liaison office in India shall apply to the Reserve Bank through an Authorised Dealer, in Form FNC as amended by Reserve Bank of India from time to time."

(b) after clause (i), the following shall be inserted, namely—

"(ia) A person resident outside India permitted by the Reserve Bank under this regulation to establish a liaison office in India, may apply to the authorised dealer concerned for extension of the validity period of approval, and upon receipt of such an application, the authorised dealer concerned may extend the validity period of approval subject to such directions issued by the Reserve Bank in this regard, from time to time."

[F. No. 1/6/EM/2011]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note :

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 408(E), dated 8th May, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :—

(a) No. G.S.R. 698(E), dated 1-9-2003

(b) No. G.S.R. 847(E), dated 29-10-2003

(c) No. G.S.R. 336(E), dated 27-5-2005

FORM FNC

(See regulation 5)

(The application form shall be completed and submitted to the AD Category-I bank designated by the applicant, for onward transmission to the Chief General Manager-in-Charge, Reserve Bank, Foreign Exchange Department, Foreign Investment Division, Central Office, Fort, Mumbai - 400001 along with the documents mentioned in item (viii) of the Declaration).

No.	Details	Particulars
1.	Full name and address of the applicant.	
	Date and Place of incorporation/registration	
	Telephone Number(s)	
	Fax Number(s)	
	E-mail ID	
2.	Details of capital	
	(i) Paid-up capital	
	(ii) Free Reserves/Retained earnings as per last audited Balance Sheet/Financial Statement	
	(iii) Intangible assets, if any	
3.	Brief description of the activities of the applicant.	
4.	(i) Value of goods imported from and/or exported to India by the applicant during each of the last three years :	
	(a) Imports from India	
	(b) Exports to India	
	(ii) Particulars of existing arrangements if any, for representing the company in India.	
	(iii) Particulars of the proposed Liaison/Branch Office :	
	(a) Details of the activities/services proposed to be undertaken/rendered by the office.	
	(b) Place where the office will be located.	
	(c) Phone number	

No.	Details	Particulars
	(d) E-mail ID	
	(e) Expected number of employees (with number of foreigners)	
5.	(i) Name and address of the Banker of the applicant in the home country	
	(ii) Telephone & Fax Number	
	(iii) E-mail ID	
6.	Any other information which the applicant company wishes to furnish in support of this application.	
7.	For Non-profit/Non-Government Organisations :	
	(i) Details of activities carried out in the host country and other countries by the applicant organisation.	
	(ii) Expected level of funding for operations in India.	
	(iii) Copies of the bye-laws, Articles of Association of the organisation.	

DECLARATION

We hereby declare that :

(i) The particulars given above are true and correct to the best of our knowledge and belief.

(ii) Our activities in India would be confined to the activities indicated in column 4(iii) (a) above.

(iii) If we shift the office to another place within the city, we shall intimate the designated AD Category-I bank and the Reserve Bank. In the event of shifting the Office to any other city in India, prior approval of the Reserve Bank will be obtained.

(iv) We will abide by the terms and conditions that may be stipulated by the Government of India/Reserve Bank/ designated AD Category-I bank from time to time.

(v) We, hereby commit that we are agreeable to a report/opinion sought from our bankers abroad by the Government of India /Reserve Bank.

(vi) We understand that the approval, if granted, is from FEMA angle only. Any other approvals/clearances, statutory or otherwise, required from any other Government Authority/Department/Ministry will be obtained before commencement of operations in India.

(vii) We have no objection to the Reserve Bank placing the details of approval in public domain.

(viii) We enclose the following documents :

1. Copy of the Certificate of Incorporation/Registration attested by the Notary Public in the country of registration

   [If the original Certificate is in a language other than in English, the same may be translated into English and notarised as above and cross verified/attested by the Indian Embassy/Consulate in the home country].

2. Latest Audited Balance sheet of the applicant company

   [If the applicants' home country laws/regulations do not insist on auditing of accounts, an Account Statement certified by a Certified Public Accountant (CPA) or any Registered Accounts Practitioner by any name, clearly showing the net worth may be submitted].

3. Bankers' Report from the applicant's banker in the host country/country of registration showing the number of years the applicant has had banking relations with that bank.

(Signature of Authorised Official
of the Applicant Company)

Name :

Designation :

Place :

Date :

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.